

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

क्रमांक: 938

दिनांक: 13-10-2026

रिमाण्ड ड्यूटी बाबत संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 936 दिनांक 30.09.2026 द्वारा माह अक्टूबर, व नवम्बर 2026 में अवकाशों के दिन सीकर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, परंतु विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.आई.एक्ट प्रकरण सीकर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय कुडली द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में दी गई अपनी सहमति के कारण पूर्व आदेश क्रमांक 936 दिनांक 30.09.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न अधिकारी की निम्न प्रकार से ड्यूटी लगाई जाती है:-

क्र.सं.	पीठासीन अधिकारी	पदनाम	अवकाश दिनांक
1.	श्री हेमन्त मेहरा	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कुडली	18 अक्टूबर, 2026 19 अक्टूबर, 2026
2.	सुश्री अन्नपूर्णा	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण, सीकर	24 नवम्बर, 2026 29 नवम्बर, 2026

नोट:- शेष रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या 936 दिनांक 30.09.2026 यथावत रहेगा।

(हेमन्त जानू)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

दिनांक: 13-10-2026

क्रमांक: 999-1010

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर।
- श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर।
- संबंधित अधिकारी/न्यायालय।
- पुलिस अधीक्षक महोदय, सीकर, को समस्त थानाधिकारियों को निर्धारित समयावधि में मुलजिम्हों को न्यायालय में पेश करने हेतु पाबंद करने बाबत।
- उप-निदेशक, अभियोजन विभाग, सीकर।
- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय, सीकर।
- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय, सीकर।
- अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, सीकर।
- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, सीकर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने बाबत।
- जिला कारागृह, सीकर।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर—समस्त पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को ई-मेल प्रेषित कर जिला न्यायालय, सीकर की वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
- आदेश पत्रावली/नोटिस

(हेमन्त जानू)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)